

आयोग प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 2021/1342**का 27 मई 2021**

यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 को तीसरे देशों और नियंत्रण अधिकारियों और नियंत्रण निकायों द्वारा अनुच्छेद 33 (2) और (3) के तहत उनकी मान्यता के पर्यवेक्षण के उद्देश्य से भेजी जाने वाली जानकारी पर नियमों के साथ परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 आयातित जैविक उत्पादों के लिए और उस पर्यवेक्षण के अभ्यास में किए जाने वाले उपायों के लिए

(ईईए प्रासंगिकता के साथ पाठ)

यूरोपीय आयोग,

यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि के संबंध में,

जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादों के लेबलिंग पर यूरोपीय संसद और 30 मई 2018 की परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 के संबंध में और परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 (1) और विशेष रूप से अनुच्छेद 48 (4) और 57 (3) को निरस्त करना,

जबकि:

- (1) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 48 (1) के अनुसार, संघ में जैविक उत्पादों के आयात के लिए परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 (2) के अनुच्छेद 33 (2) के तहत समानता के प्रयोजनों के लिए तीसरे देशों की मान्यता 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो जाएगी।
- (2) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 57 (1) के अनुसार, संघ में जैविक उत्पादों के आयात के लिए विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 के अनुच्छेद 33 (3) के तहत समानता के प्रयोजनों के लिए नियंत्रण अधिकारियों और नियंत्रण निकायों की मान्यता 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगी।
- (3) जब उन संक्रमणकालीन अवधियों के अंत तक संघ बाजार पर रखा जाता है, तो उन आयात योजनाओं के तहत संघ में आयात किए गए जैविक उत्पादों का उत्पादन उत्पादन नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए और विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 में निर्धारित नियंत्रण व्यवस्था के साथ-साथ आयोग विनियम (ईसी) संख्या 889/2008 (3) और (ईसी) संख्या 1235/2008 (4) में निर्धारित संबद्ध कार्यान्वयन नियमों के अधीन होना चाहिए।
- (4) इसलिए, तीसरे देशों में उत्पादन, तैयारी और वितरण के सभी चरणों में, ऑपरेटरों को अपनी गतिविधियों को या तो किसी तीसरे देश की नियंत्रण प्रणाली को प्रस्तुत करना जारी रखना चाहिए, जैसा कि विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 48 (1) में संदर्भित समानता के उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त है, या उस विनियमन के अनुच्छेद 57 (1) में निर्दिष्ट नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय को।
- (5) ऐसे तीसरे देशों या संबंधित नियंत्रण प्राधिकरणों और नियंत्रण निकायों के उचित पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, संक्रमणकालीन अवधि के दौरान उनकी मान्यता की नियमित समीक्षा के लिए प्रक्रियाओं पर नियम निर्धारित करना आवश्यक है। उस प्रयोजन के लिए, इस विनियमन को निर्दिष्ट करना चाहिए, विशेष रूप से, तीसरे देशों या नियंत्रण अधिकारियों और नियंत्रण निकायों द्वारा आयोग को उस पर्यवेक्षण के अभ्यास के लिए प्रदान की जाने वाली जानकारी, जिसमें ऑन-द-स्पॉट परीक्षा भी शामिल

है। इसके अलावा, इस विनियमन को उस पर्यवेक्षण के अभ्यास में आयोग द्वारा किए जाने वाले उपायों को निर्धारित करना चाहिए, जिसमें विनियमन (ईयू) 48/848 के अनुच्छेद 48 (3) और 57 (2) के अनुसार स्थापित सूचियों से मान्यता प्राप्त तृतीय देशों या नियंत्रण अधिकारियों और नियंत्रण निकायों का निलंबन या वापसी शामिल है।

(6) स्पष्टता और कानूनी निश्चितता के हित में, यह विनियमन विनियमन (ईयू) 2018/848 के आवेदन की तारीख से तीसरे देशों या नियंत्रण अधिकारियों और नियंत्रण निकायों की मान्यता की समाप्ति तक लागू होना चाहिए,

इस विनियमन को अपनाया है:

लेख 1

तीसरे देशों का पर्यवेक्षण

1. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 48 (2) के अनुसार आयोग को भेजी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक, उस विनियमन के अनुच्छेद 48 (1) में संदर्भित तीसरे देश द्वारा और विनियमन (ईयू) 48/3 ('तीसरा देश') के अनुच्छेद 2018 (848) के अनुसार अपनाई जाने वाली एक कार्यान्वयन विनियमन द्वारा स्थापित सूची में शामिल होगी:

(क) तीसरे देश में जैविक उत्पादन के विकास पर जानकारी, जिसमें उत्पादित उत्पाद, खेती में क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, उत्पादकों की संख्या और खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियां शामिल हैं;

(ख) संघ को निर्यात किए जाने वाले जैविक कृषि उत्पादों और खाद्य पदार्थों की प्रकृति पर जानकारी;

(ग) पिछले वर्ष में तीसरे देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई निगरानी और पर्यवेक्षी गतिविधियों का विवरण, प्राप्त परिणाम और सुधारात्मक उपाय;

(घ) विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 के शीर्षक III और IV में निर्दिष्ट उत्पादन नियमों के बराबर मूल्यांकन किए गए तीसरे देश में लागू उत्पादन मानकों पर कोई भी अपडेट;

(ङ) तीसरे देश में लागू नियंत्रण उपायों पर कोई भी अपडेट, विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 के शीर्षक III में निर्दिष्ट लोगों के बराबर प्रभावशीलता के रूप में मूल्यांकन किया जाता है, और पुष्टि है कि इस तरह के नियंत्रण उपायों को स्थायी और प्रभावी ढंग से लागू किया गया है;

(च) तीसरे देश के तकनीकी डोजियर पर कोई अन्य अपडेट;

(छ) इंटरनेट वेबसाइट या अन्य पता जहां नियंत्रण प्रणाली के अधीन ऑपरेटरों की अप-टू-डेट सूची पाई जा सकती है, साथ ही एक संपर्क बिंदु जहां उनकी प्रमाणन स्थिति और संबंधित उत्पाद श्रेणियों पर जानकारी आसानी से उपलब्ध है;

(ज) तीसरे देश द्वारा प्रासंगिक समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी।

2. तीसरा देश इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम (ओएफआईएस) के माध्यम से बिना किसी देरी के आयोग को सूचित करेगा, उस तीसरे देश में लागू उपायों या उनके कार्यान्वयन के लिए किए गए किसी भी बदलाव के बारे में, और विशेष रूप से इसकी नियंत्रण प्रणाली के लिए।

3. तीसरा देश विनियमन (ईयू) 48/3 के अनुच्छेद 2018 (848) के अनुसार अपनाए जाने वाले कार्यान्वयन विनियमन द्वारा स्थापित सूची में शामिल प्रशासनिक डेटा में किए गए किसी भी बदलाव के ओएफआईएस के माध्यम से देरी के बिना आयोग को सूचित करेगा।

4. आयोग किसी भी समय तीसरे देश से किसी भी और जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जिसमें स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा स्थापित एक या अधिक ऑन-द-स्पॉट परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है।

5. आयोग, जोखिम-मूल्यांकन के आधार पर या संदिग्ध गैर-अनुपालन के मामले में, विशेषज्ञों द्वारा तीसरे देश में ऑन-द-स्पॉट परीक्षा आयोजित कर सकता है।

6. जहां आयोग को एक सदस्य राज्य से एक अधिसूचना प्राप्त हुई है, जिसमें विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 में निर्धारित आवश्यकताओं के साथ आयातित जैविक उत्पादों के अनुपालन के संबंध में अनियमितता या उल्लंघन के एक प्रमाणित संदेह के बारे में सूचित किया गया है और उत्पादन मानकों और नियंत्रण उपायों को किए गए मूल्यांकन के आधार पर समकक्ष के रूप में स्वीकार किया गया है, यह तीसरे देश के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा। वह सक्षम प्राधिकारी संदिग्ध अनियमितता या उल्लंघन की उत्पत्ति की जांच करेगा और आयोग की अधिसूचना से 30 कैलेंडर दिनों के भीतर, आयोग और संबंधित सदस्य राज्य को जांच के परिणाम और की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करेगा।

लेख 2

नियंत्रण अधिकारियों और नियंत्रण निकायों का पर्यवेक्षण

1. वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर और प्राप्त किसी भी अन्य जानकारी के आलोक में, आयोग विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 57 (1) में निर्दिष्ट नियंत्रण अधिकारियों और नियंत्रण निकायों का उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगा और नियमित रूप से उनकी मान्यता की समीक्षा करके विनियमन (ईयू) 2018/848 ('नियंत्रण निकायों') के अनुच्छेद 57 (2) के अनुसार अपनाए जाने वाले कार्यान्वयन विनियमन द्वारा स्थापित सूची में शामिल होगा। इस उद्देश्य के लिए, आयोग सदस्य राज्यों की सहायता का अनुरोध कर सकता है। नियंत्रण प्राधिकरणों और नियंत्रण निकायों के पर्यवेक्षण की प्रकृति गैर-अनुपालन के जोखिम आधारित दृष्टिकोण के आधार पर निर्धारित की जाएगी, विशेष रूप से प्रमाणित उत्पादों की मात्रा और संघ को उनके निर्यात और नियमित ऑन-द-स्पॉट मूल्यांकन, निगरानी के परिणामों को ध्यान में रखते हुए या, मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा उनकी गतिविधियों का पुनर्मूल्यांकन या, जैसा उपयुक्त हो, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा।

2. प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी तक, नियंत्रण प्राधिकारी और नियंत्रण निकाय आयोग को एक वार्षिक रिपोर्ट भेजेंगे। वार्षिक रिपोर्ट मान्यता के लिए प्रारंभिक आवेदन में शामिल तकनीकी डोजियर की जानकारी को अद्यतन करेगी, जैसा कि अंतिम बार संशोधित किया गया था। इसमें कम से कम शामिल होंगे:

(क) तीसरे देश या तीसरे देशों में नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय की गतिविधियों का अवलोकन, जिसके लिए इसे मान्यता दी गई है, जिसमें शामिल ऑपरेटरों की संख्या और ऑपरेटरों के समूह और कृषि उत्पादों और खाद्य पदार्थों की प्रकृति, श्रेणियों द्वारा क्रमबद्ध और टैरिफ कोड द्वारा समूहीकृत;

(ख) तीसरे देश या तीसरे देशों में लागू उत्पादन मानकों पर कोई भी अपडेट जिसके लिए नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय को मान्यता दी गई है, जिसमें विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 के शीर्षक III और IV में निर्दिष्ट उत्पादन नियमों के लिए उन मानकों की समानता का आकलन शामिल है;

(ग) तीसरे देश या तीसरे देशों में लागू नियंत्रण उपायों पर कोई भी अपडेट जिसके लिए नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय को मान्यता दी गई है, जिसमें विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 के शीर्षक VII में निर्दिष्ट लोगों के लिए समानता का आकलन शामिल है, और पुष्टि है कि इस तरह के नियंत्रण उपायों को स्थायी और प्रभावी ढंग से लागू किया गया है;

- (घ) तीसरे देश या तीसरे देशों में पिछले वर्ष में नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय द्वारा की गई नियंत्रण गतिविधियों का विवरण, जिसके लिए इसे मान्यता दी गई है, प्राप्त परिणाम, देखी गई अनियमितताओं और उल्लंघन और सुधारात्मक उपाय;
- (ई) तकनीकी डोजियर की जानकारी पर कोई अन्य अपडेट जो मान्यता और इसके आगे के अपडेट के लिए प्रारंभिक आवेदन के साथ भेजा गया था;
- (च) प्रत्यायन निकाय द्वारा जारी नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति या, जहां उपयुक्त हो, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जिसमें तीसरे देश या तीसरे देश में नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय की गतिविधियों के नियमित ऑन-द-स्पॉट मूल्यांकन, निगरानी और बहु-वार्षिक पुनर्मूल्यांकन के परिणाम शामिल होंगे, जिसके लिए इसे मान्यता दी गई है। वह मूल्यांकन रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करेगी कि नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय को आयोग द्वारा इसकी मान्यता के लिए लागू शर्तों को पूरा करने की क्षमता पर संतोषजनक रूप से मूल्यांकन किया गया है और इसने उन शर्तों के अनुसार अपनी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इसके अलावा, मूल्यांकन रिपोर्ट अंक (बी) और (सी) में निर्दिष्ट उत्पादन मानकों और नियंत्रण उपायों की समानता को प्रदर्शित और पुष्टि करेगी;
- (छ) इंटरनेट वेबसाइट जहां नियंत्रण प्रणाली के अधीन ऑपरेटरों की सूची संघ की आधिकारिक भाषा में पाई जा सकती है, साथ ही एक संपर्क बिंदु जहां उनकी प्रमाणन स्थिति, संबंधित उत्पाद श्रेणियों, साथ ही निलंबित और अप्रमाणित ऑपरेटरों और उत्पादों पर जानकारी आसानी से उपलब्ध है;
- (ज) नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय द्वारा प्रासंगिक समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी।
- वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में आयोग द्वारा अनुरोधित कोई अतिरिक्त जानकारी ओएफआईएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
3. आयोग वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध कर सकता है। वह अतिरिक्त जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान की जाएगी।

लेख 3

तीसरे देशों की मान्यता की समीक्षा

विनियमन (ईयू) 48/2018 के अनुच्छेद 2 (848) के अनुसार तीसरे देशों की मान्यता की अपनी नियमित समीक्षा के ढांचे में, आयोग निम्नलिखित नियमों को लागू करेगा और अनुच्छेद के अनुसार तीसरे देशों की सूची में संशोधन करेगा 48(3) उस विनियमन का:

- (क) आयोग किसी भी समय प्राप्त जानकारी के आधार पर सूची में विनिर्देशों में संशोधन कर सकता है;
- (ख) आयोग प्राप्त जानकारी के आधार पर सूची से किसी तीसरे देश के प्रवेश को निलंबित कर सकता है, या जहां किसी तीसरे देश ने आवश्यक पर्याप्त जानकारी की आपूर्ति नहीं की है या जहां वह ऑन-द-स्पॉट परीक्षा के लिए सहमत नहीं हुआ है;
- (ग) आयोग सूची से किसी तीसरे देश की प्रविष्टि को निलंबित कर देगा, जहां आयोग के अनुरोध के बाद, तीसरा देश समस्या की गंभीरता के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के भीतर उचित और समय पर उपचारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहता है, जो 30 दिनों से कम नहीं होगा;
- (घ) आयोग सूची से किसी तीसरे देश की प्रविष्टि वापस ले लेगा जहां:
- (मै) तीसरा देश इस विनियमन के अनुच्छेद 1 (1) को संदर्भित वार्षिक रिपोर्ट समय पर नहीं भेजता है;
- (द्वितीय) उस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी अधूरी है;

(iii)समस्या की गंभीरता के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के भीतर आयोग से अनुरोध के बाद, जो 30 दिनों से कम नहीं होगी, तीसरा देश जानकारी उपलब्ध नहीं रखता है या अपने तकनीकी डोजियर या नियंत्रण प्रणाली से संबंधित सभी जानकारी का संचार नहीं करता है; नहीं तो

(चतुर्थ) आयोग के अनुरोध के बाद, तीसरा देश ऑन-द-स्पॉट परीक्षा के लिए सहमत नहीं होता है।

लेख 4

नियंत्रण अधिकारियों और नियंत्रण निकायों की मान्यता की समीक्षा

1. इस विनियमन के अनुच्छेद 2 (1) के अनुसार नियंत्रण अधिकारियों और नियंत्रण निकायों की मान्यता की अपनी नियमित समीक्षा के ढांचे में, आयोग निम्नलिखित नियमों को लागू करेगा और अनुच्छेद 57 के अनुसार नियंत्रण अधिकारियों और नियंत्रण निकायों की सूची में संशोधन करेगा (ईयू) 2018/848 का अनुच्छेद 2(2):

(क)आयोग किसी भी समय प्राप्त जानकारी के आधार पर सूची में एक नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय से संबंधित विनिर्देशों में संशोधन कर सकता है;

(ख)आयोग प्राप्त जानकारी के आधार पर सूची से एक नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय के प्रवेश को निलंबित कर सकता है, या जहां नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय ने आवश्यक पर्याप्त जानकारी की आपूर्ति नहीं की है या जहां वह ऑन-द-स्पॉट परीक्षा के लिए सहमत नहीं है;

(ग)आयोग सूची से एक नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय के प्रवेश को निलंबित कर देगा, जहां आयोग से अनुरोध के बाद, नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय समस्या की गंभीरता के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के भीतर उचित और समय पर उपचारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहता है, जो 30 दिनों से कम नहीं होगा;

(घ)आयोग सूची से एक नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय की प्रविष्टि को वापस ले लेगा जहां:

(मै)नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय इस विनियमन के अनुच्छेद 2 (2) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट समय पर नहीं भेजता है;

(द्वितीय) वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी अधूरी है;

(iii)नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय अपने तकनीकी डोजियर या नियंत्रण प्रणाली से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध नहीं रखता है या संचार नहीं करता है;

(चतुर्थ)नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय गैर-अनुपालन की जांच पर उपलब्ध जानकारी नहीं रखता है;

(v)नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय गैर-अनुपालन और उल्लंघन के जवाब में पर्याप्त सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहता है;

(vi)नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय आयोग द्वारा आवश्यक ऑन-द-स्पॉट परीक्षा के लिए सहमत नहीं है, या यदि नियंत्रण उपायों की व्यवस्थित खराबी के कारण ऑन-द-स्पॉट परीक्षा नकारात्मक परिणाम के साथ आती है; नहीं तो

(सातवीं)किसी भी अन्य स्थिति में, उपभोक्ता को नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय द्वारा प्रमाणित उत्पादों की वास्तविक प्रकृति के बारे में गुमराह करने का जोखिम है।

2. पैराग्राफ 1 के बिंदु (डी) के अनुसार वापसी से पहले, आयोग नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय से अनुरोध करेगा कि वह उस बिंदु में निर्दिष्ट स्थितियों को समस्या की गंभीरता के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के भीतर उपाय करे, जो 30 दिनों से कम नहीं होगी।

लेख 5

बल और आवेदन में प्रवेश

यह विनियमन यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में इसके प्रकाशन के बाद बीसवें दिन लागू होगा।

यह 1 जनवरी 2022 से लागू होगा।

अनुच्छेद 1 और 3 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेंगे।

अनुच्छेद 2 और 4 31 दिसंबर 2024 तक लागू रहेंगे।

यह विनियमन अपनी संपूर्णता में बाध्यकारी होगा और सभी सदस्य राज्यों में सीधे लागू होगा।

ब्रसेल्स में किया गया, 27 मई 2021।

आयोग के लिए

राष्ट्रपति

उर्सुला वॉन डेर लेयेन

[\[1\] ओजे एल 150, 14.6.2018, पी 1](#)

[\[2\] जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादों के लेबलिंग और निरसन विनियमन \(ईसी\) संख्या 2092/91 \(ओजे एल 189, 20.7.2007, पृष्ठ 1\) पर 28 जून 2007 का परिषद विनियमन \(ईसी\) संख्या 834/2007\)।](#)

[\[3\] 5 सितंबर 2008 का आयोग विनियमन \(ईसी\) संख्या 889/2008 जैविक उत्पादन, लेबलिंग और नियंत्रण के संबंध में जैविक उत्पादों के जैविक उत्पादन और लेबलिंग पर परिषद विनियमन \(ईसी\) संख्या 834/2007 के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम निर्धारित करता है \(ओजे एल 250, 18.9.2008, पृष्ठ 1\)।](#)

[\[4\] 8 दिसंबर 2008 का आयोग विनियमन \(ईसी\) संख्या 1235/2008 जिसमें तीसरे देशों से जैविक उत्पादों के आयात की व्यवस्था के संबंध में परिषद विनियमन \(ईसी\) संख्या 834/2007 के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम निर्धारित किए गए हैं \(ओजे एल 334, 12.12.2008, पृष्ठ 25\)।](#)